राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1346/2013

छोटूलाल माली

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक, उदयपुर जॉन, उदयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, प्रतापगढ, जिला प्रतापगढ़।
4. गोपाल सिंह, अध्यापक ग्रेड–II, विज्ञान, रा.उ.प्रा.वि., सैलाबपुरा, जिला प्रतापगढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.05.2024

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 27.07.2013 (अनुलग्नक–5) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई है, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गई है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग में आवेदन पत्र दिया है, जिसमें अपीलार्थी ने अंकित किया है कि अपीलार्थी को कालांतर में नियमानुसार द्वितीय वेतन श्रृंखला एवं तदुपरांत व्याख्याता रसायन विज्ञान के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में वह इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं।
3. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिया गया पत्र अनुलग्नक–आर1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने यह अपील आगे चलाना नहीं चाहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उन्हें अनुलग्नक–आर1 के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और वो अनुलग्नक–आर1 का खण्डन करने की स्थिति में नहीं है।
4. पत्रावली में उपस्थित तथ्यों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)